Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 13, Issue 2 | November 2025 - April 2026 | pp. 91-95

लद्दाख में छठी अनुसूची की माँग : स्वशासन की राजनीति

डॉ. सर्वेश कुमार

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान

बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय, चिमनपुरा (शाहपुरा), जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

5 अगस्त, 2019 का दिन लद्दाख के लिए ख़ुशी और आशंका का था। एक ओर केन्द्र शासित प्रदेश बनने की दशकों पुरानी माँग पूरी हुई थी दूसरी ओर अनुच्छेद-370 का संरक्षण हटने के बाद लद्दाख में बाहरी दखल की आशंका भी व्याप्त हुई। भूमि, वन और रोजगार से जुड़े अधिकारों को लेकर लोगों में चिंता भी बढ़ी है। इसीलिए अनुच्छेद-370 के स्थानापन्न रूप में लद्दाख छठी अनुसूची का संरक्षण चाहता है। क्योंकि छठी अनुसूची स्वशासन की राह प्रशस्त करती है। स्वायत्त परिषदों के द्वारा स्थानीय समुदाय को अपने प्राकृतिक संसाधनों, रोजगार व संस्कृति के संरक्षण का कानूनी हक मिल जाता है। स्थानीय लोगों का तर्क है कि बाहरी हस्तक्षेप और अनियंत्रित विकास से लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी, जनजातीय संस्कृति और आजीविका पर गहरा संकट मंडरा रहा है। वे चाहते हैं कि भूमि और नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उनके हितों के अनुसार हो। यह आंदोलन केवल राजनीतिक अधिकारों के लिये नहीं है अपितु प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण का भी प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण है। केन्द्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता के दौर जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। द्वितीय समंक पर आधारित इस शोध का उद्देश्य लद्दाख के मुद्दे पर केन्द्र सरकार एवं स्थानीय लोगों की चिंताओं और विवशताओं को उजागर करना ताकि संवेदनशील मुद्दे पर स्वस्थ जनमत के निर्माण के साथ-साथ व्यावहारिक नीति निर्माण हो सके।

संकेताक्षर—*छठी अनुसूची, पारिस्थितिकी, केन्द्र सरकार, सामरिक क्षेत्र, हिल काउंसिल*

प्रस्तावना

5 अगस्त, 2019 को संसद ने एक ऐतिहासिक अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निष्प्रभ कर, प्रदेश का पुनर्गठन दो केन्द्रशासित प्रदेशों में किया गया। एक विधान सभा युक्त जम्मू और कश्मीर तथा दूसरा विधानसभा विहीन केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख का गठन किया। लद्दाख की असल माँग तो पुडुचेरी की तर्ज पर विधानसभा युक्त केन्द्रशासित प्रदेश की रही है। यह माँग पहली बार 1949 में रखी गई थी। 1989 में लद्दाख को अलग प्रान्त के रूप में गठन करने का आंदोलन भी चला। इसी आंदोलन को शांत करने के लिये लद्दाख को स्वायत्त हिल डेवलपमेंट काउंसिल दी गई।[1] यद्यपि अब केन्द्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख स्वायत्त हिल डेवलपमेंट काउंसिल की शक्तियाँ सीमित हो गई हैं।

तमाम आशंकाओं के बावजूद भी लद्दाख में विभिन्न संगठनों ने केन्द्रशासित प्रदेश बनाये जाने के फैसले का स्वागत किया क्योंकि लद्दाख की हमेशा से ही शिकायत रही थी कि यहाँ के लिए केन्द्र सरकार की विकास योजनाएँ जम्मू और कश्मीर सरकार की सुस्त कार्यवाही की भेंट चढती रहती हैं। अब लद्दाख को आशा है कि स्थानीय विकास में केन्द्र सरकार निर्बाध रूप से भूमिका निभायेगी। किंतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद से यह आशंका लद्दाख में

फैल रही है कि कहीं बाहरी लोगों का दबाव स्थानीय संसाधनों को नष्ट तो नहीं कर देगा। क्योंकि अनुच्छेद-370 के अन्तर्गत बाहरी दखल से जो सुरक्षा जम्मू और कश्मीर को मिली हुई थी वह लद्दाख को भी मिली हुई थी क्योंकि लद्दाख भी जम्मू और कश्मीर राज्य क्षेत्र का हिस्सा था।[2] लद्दाख एक विशिष्ट एवं विकट भौगोलिक क्षेत्र है जो प्राकृतिक और सामरिक दृष्टि से काफी संवेदनशील है। लद्दाख बाहरी दखल से सुरक्षा को यहाँ की जैव विविधता और विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के लिये बहुत जरूरी मानता है। इसीलिए लद्दाख में छठी अनुसूची की माँग बल पकड़ रही है। क्योंकि संविधान की छ्ठी अनुसूची जनजातीय समाज के जड़, जंगल और ज़मीन पर स्थानीयता के दावे को सुरक्षित करती है। यही वजह है कि जम्मू और कश्मीर में संवैधानिक बदलाव के बाद से क्षेत्र के प्रतिनिधि लगातार लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की माँग उठा रहे हैं। साल 2021 में लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल ने स्थानीय आबादी की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए इस क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की माँग की थी।

क्या है संविधान की छठी अनुसूची?

विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान जनजातीय समाज के लिए बहुत अहम है। संविधान में छठी अनुसूची का प्रावधान जल, जंगल, ज़मीन और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए किया गया। छठी अनुसूची में संविधान के अनु. 244(2) और अनु. 275(1) को शामिल किया गया है। अभी छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम प्रान्तों के जनजाति क्षेत्रों को रखा गया है। असम के कार्बी आंगलोंग, केदीमा हसाओ, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, त्रिपुरा का पूरा जनजातीय क्षेत्र, मेघालय के गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी और मिजोरम के मारा, चकमा, लाई, जनजातीय क्षेत्रों में छठी अनुसूची प्रभावी है।[3]

इस अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। प्रान्त के अंदर ही इन जिलों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। यह स्थानीय स्तर पर स्वशासन की प्रभावी व्यवस्था करती है। छठी अनुसूची में राज्यपाल को स्वायत्त जिलों के गठन और पुनर्गठन की शक्तियाँ दी गई हैं। संविधान का अनु-244 स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों में स्वायत्त जिला परिषदों के गठन का प्रावधान करता है। स्वायत्त जिला परिषदों में पाँच वर्ष की अवधि के साथ अधिकतम तीस सदस्य हो सकते हैं। किसी जिले में अलग-अलग जनजातियों के होने पर यह अनुच्छेद कई स्वायत्त जिला परिषदों के गठन का प्रावधान करता है। स्वायत्त जिला परिषदों को जड़, जंगल, ज़मीन, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम और शहर स्तर की पुलिसिंग, विरासत, विवाह और तलाक़, सामाजिक रीति-रिवाज और खनन आदि से जुड़े कानून और नियम बनाने अधिकार होता है।[4] यह अनुसूची तृणमूल स्तर पर व्यापक शक्तियों का फैलाव करती है।

लद्दाख की माँग कितनी जायज?

11 सितंबर, 2019 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी 119वीं बैठक में लद्दाख के लिए छ्ठी अनुसूची की सिफारिश की थी। आयोग ने पाया कि लद्दाख की करीब 97 प्रतिशत आबादी जनजाति है। यहाँ का जनजातीय समाज, विशिष्ट व विकट भौगोलिक परिस्थितियाँ और अलग सांस्कृतिक पहचान इस क्षेत्र को छठी अनुसूची में शामिल किये जाने का आधार देती है। यहाँ का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र विशेष सुरक्षा उपाय की माँग करता है। आज से 5 साल पहले जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया तो इस क्षेत्र के लोगों ने फैसले का एक उम्मीद के साथ स्वागत किया था कि शीघ्र ही केन्द्र सरकार लद्दाख को छठी अनुसूची का सुरक्षा कवच उपलब्ध करायेगी। क्योंकि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने से यहां के लोगों की आधी माँग ही पूरी हुई है। लद्दाख में नागरिक समूह भूमि, संसाधनों और रोजगार की सुरक्षा की माँग कर रहे हैं क्योंकि स्थानीय लोगों को बड़े कारोबारी समूहों के अपनी जमीन और नौकरियाँ छीने जाने का भय है। प्रतिनिधित्व का संकट भी लद्दाख के लिए छठी अनुसूची के दावे को मजबूत करता है क्योंकि केन्द्रशासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा और विधान परिषद में लद्दाख का प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया जिसे स्वायत्त जिला विकास परिषदों के माध्यम से हासिल करना चाहता है।

लेह और कारगिल क्षेत्र के लोगों को तिब्बत की तरह अपनी भाषा और संस्कृति के खो जाने की आशंका है। लद्दाख एक बर्फीला क्षेत्र है यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। लद्दाख के लोगों की समझ है कि यहाँ का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र बाहरी दखल से ध्वस्त हो जायेगा। पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक

कई दफा यह उदाहरण दोहराते हैं कि चण्डीगढ में रहने वाले व्यक्ति को एक दिन में जहाँ 25-30 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है वहीं लद्दाख का व्यक्ति 4-5 लीटर पानी दिन भर में उपभोग करता है। ऐसे में बाहरी लोगों के आने से यहाँ के संसाधन के नष्ट होने का खतरा है। सोनम वांगचुक का आरोप है कि "केन्द्र सरकार ने लद्दाख के साथ वादा खिलाफ़ी की है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में लद्दाख के लिए अपने घोषणा-पत्र में केन्द्रशासित प्रदेश और छठी अनुसूची की माँग को रखा था। इसके बाद लद्दाख हिल डवलपमेंट काउंसिल चुनाव में अपने घोषणा-पत्र के शुरुआती तीन वादों में छठी अनुसूची की माँग को माना था।[5] इसी वादे के साथ लद्दाख की जनता ने लोकसभा चुनाव और हिल डवलपमेंट काउंसिल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया किंतु पिछले 5 वर्ष में लद्दाख के प्रति केंद्र सरकार का रुख निराशाजनक रहा।" ध्यातव्य है कि लद्दाख की तात्कालिक नाराज़गी मौजूदा केन्द्र सरकार से है किंतु इतिहास में कांग्रेस सरकार से भी शिकायत रही है। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लद्दाख ने एक निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद हनीफ को सांसद चुना है।

क्या लद्दाख में माँग केवल छठी अनुसूची की है?

छठी अनुसूची की माँग लद्दाख में प्रमुख माँग है इसलिए यह हर बहस के मध्य में आ जाती है। किंतु लद्दाख में चल रहा आंदोलन राजनीतिक और संवैधानिक सुधारों की एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक फ्रंट ये दो संगठन है जो लद्दाख में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इन संगठनों ने केंद्र सरकार के समक्ष राजनीतिक और संवैधानिक सुधारो की निम्नलिखित माँग प्रस्तुत की हैं—

- संपूर्ण लद्दाख को छठी अनुसूची क्षेत्र में शामिल किया जायें।
- लद्दाख को दिल्ली की तर्ज पर विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेश बनाया जायें।
- लद्दाख में दो लोकसभा सीटें सृजित की जायें। लेह और कारगिल के लिए अलग-अलग लोकसभा सीट होनी चाहिए।
- लद्दाख के लिए अलग से लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए। जो लद्दाख के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करे और नौकरियों में स्थानीय लोगों को तरजीह दे।
- लद्दाख हिल काउंसिल को अधिक सशक्त किया जाना चाहिए।
- लद्दाख में बाहरी कंपनियों के प्रवेश और उत्खनन कार्य पर रोक लगे।[6]

उपर्युक्त सभी माँगों में स्थानीय अधिकारों के संरक्षण की गुंज सुनाई देती है। केन्द्र सरकार निरंतर इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि पर्यावरणीय और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र की आशंकाओं का समाधान कर भरोसा कायम किया जाये। इसी उद्देश्य के लिए 13 फरवरी 2026 तक केंद्र सरकार और लेह-कारगिल संयुक्त बॉडी के मध्य आठ दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद यह वार्ता स्थगित हो गई थी।

केन्द्र सरकार के सामने क्या मुश्किल है?

केन्द्र सरकार के सामने दुविधा की स्थिति है। यदि वह लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करती है तो इस तरह की माँग पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी उठ सकती है। गौरतलब है कि अभी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलग-अलग क्षेत्रों में छठी अनुसूची के प्रावधान प्रभावी हैं। असम के भी एक ही हिस्से में छठी अनुसूची लागू है। नागालैण्ड और असम सहित पूर्वोत्तर के अन्य राज्य भी छठी अनुसूची के विस्तार की माँग करते रहे हैं। यद्यपि पूर्वोत्तर के उक्त चार राज्यों के अलावा अन्य राज्य पाँचवी अनुसूची में आते है।[7] गौरतलब है कि जनजातीय समाज के कल्याण के लिये संविधान में पाँचवी और छठी अनुसूची का प्रावधान किया गया है। किंतु छठी अनुसूची में शामिल जनजातीय समाज अपने स्वाभाविक अधिकारों के संरक्षण में अधिक सशक्त है। इसलिए छठी अनुसूची की माँग केवल लद्दाख तक सीमित रहेगी, ऐसा मुश्किल प्रतीत होता है।

यदि पूर्वोत्तर के शेष राज्यों के जनजातीय समाज को भी छठी अनुसूची में शामिल किया जाता है तो सरकार की विकास योजनाओं एवं अन्तर्राष्ट्रीय करारों पर इसका विपरीत असर पड़ता है। इन क्षेत्रों से सड़क, रेलवे विस्तार, दूरसंचार के फैलाव के अलावा खनन एवं औद्योगीकरण का कार्य मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्वायत्त जिला विकास परिषदों से अनुमति

हासिल करना मुश्किल काम है। गौरतलब है कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में पूर्वोत्तर की भूमिका योजक की है। यही स्थिति लद्दाख की है क्योंकि लद्दाख केवल पारिस्थितिकी के लिहाज से ही नहीं अपितु सामरिक लिहाज से भी बेहद संवेदनशील है। इस लिहाज से केन्द्र सरकार इस क्षेत्र को सीधे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में रखना चाहती है। आज जब केन्द्र सरकार इस मुद्दे पर पीछे हट रही है तो उस पर वादे से मुकरने का आरोप लग रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख के लिए अपने घोषणा-पत्र में दो बार छठी अनुसूची का वाद किया है।

लद्दाख के मुद्दे पर केन्द्र की पहल

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 2 जनवरी, 2023 को तत्कालीन गृह राज्यमंत्री नित्यानंद रॉय की अध्यक्षता में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। समिति भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्त्व को मध्यनजर रखते हुए क्षेत्र की बेजोड़ भाषा-संस्कृति के रक्षा उपायों पर विमर्श कर रही है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति लद्दाख की आवाम के लिए भूमि व रोजी-रोटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने, लद्दाख के कारगिल व लेह की स्वायत्त पहाड़ी जिला परिषदों के सशक्तिकरण और समावेशी विकास की रणनीति निर्माण आदि मुद्दों पर व्यापक सहमति की तलाश कर रही। किंतु लद्दाख के दो प्रमुख संगठन कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लद्दाख बौद्ध संघ ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष बैठने से इंकार कर दिया है। दोनों स्थानीय संगठनों का ऐतराज है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति के कार्यरूप में छठी अनुसूची का कहीं कोई जिक्र नहीं है। यद्यपि उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने लद्दाख के अलग-अलग राजनीतिक संगठनों से बात कर रही है किंतु आंदोलन की बागडोर नागरिक समाज के पास है। ऐसे में लद्दाख में शान्ति और व्यवस्था के लिए नागरिक समाज से राफ्ता बहुत अहम है।

राज्यसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख प्रशासन ने हाल ही में सीधी भर्ती में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दिया है।[8] केन्द्र सरकार और लद्दाख के नागरिक संगठनों के मध्य कई दौर की वार्ताओं के परिणाम मुख्य तौर पर निम्नलिखित रहे हैं—केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों की चिंताओं को औपचारिक रूप से स्वीकार किया और संवाद की प्रक्रिया शुरू रखी। इससे पहले स्थानीय संगठनों का आरोप था कि केन्द्र सरकार उनकी माँगों को पर्याप्त महत्व नहीं दे रही है। दूसरा महत्वपूर्ण आउटपुट स्थानीय रोजगार और भर्ती से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने लद्दाख के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में स्थानीय प्राथमिकता बनाए रखने तथा भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर सहमति दिखाई है। तीसरा, सरकार ने लद्दाख की पारंपरिक संस्कृति, जनजातीय पहचान और स्थानीय भाषाओं के संरक्षण के लिए विशेष योजनाओं पर विचार करने का आश्वासन दिया है। यह मुद्दा स्थानीय संगठनों की प्रमुख माँगों में शामिल रहा है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण पर भी चर्चा हुई है। केंद्र ने सतत विकास और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दिशा में काम करने की बात कही है। यद्यपि छठी अनुसूची, संसद में अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व आदि माँगों पर अभी अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। वार्ता का एक सकारात्मक परिणाम यह भी है कि आंदोलन और टकराव की स्थिति के बजाय लोकतांत्रिक संवाद का रास्ता मजबूत हुआ है। दोनों पक्ष बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने पर सहमत दिखा रहे हैं।

आगे की राह

एक बात तो तय है कि लद्दाख के नाजुक पर्यावरण और विशिष्ट संस्कृति को बाहरी दखल से एक सुरक्षा कवच तो चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि वह सुरक्षा कवच किस रूप में हो—

- केन्द्र सरकार लद्दाख को छठी अनुसूची का सुरक्षा कवच उपलब्ध करा सकती है। केन्द्र पास इस संदर्भ में अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट भी है।
- केन्द्र द्वारा संविधान में संशोधन कर 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद्' को ही पर्यावरण और संस्कृति के संबंध में नियमन के कुछ अतिरिक्त अधिकार दिये जा सकते हैं।
- अनुच्छेद-371 को भी लद्दाख के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में देखा जा सकता है। यदि यह अनुच्छेद लद्दाख में लागू होता है तो लद्दाख को कई विशेषाधिकार मिल जायेंगे। केंद्र सरकार लद्दाख के लिए अलग से फंड जारी कर सकेगी। लद्दाख स्थानीय लोगों को नौकरियों में संविधान में दिए गए आरक्षण की सीमा से बाहर जाकर भी आरक्षण दे सकेगा। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर के राज्यों की तरह ही

लद्दाख के मूल निवासियों को अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने का भी अधिकार मिल सकेगा।

निष्कर्ष

लद्दाख नाजुक पारिस्थितिकी के लिहाज से ही नहीं अपितु सामरिक दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील है। ऐसे में लद्दाख में उठ रही आवाजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केन्द्र की उच्चाधिकार प्राप्त समिति को लद्दाख में अलग-अलग नागरिक संगठनों को भरोसे में लेकर किसी व्यावहारिक उपाय तक पहुँचना चाहिए। हाई पावर्ड कमेटी और लेह-कारगिल संयुक्त बॉडी के मध्य कई दौर की वार्ताएँ हो चुकी हैं। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के कारण कुछ समय के लिए वार्ता स्थगित हो गई थी किंतु अब सोनम वांगचुक को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। 22 मई, 2026 को हाई पावर्ड कमेटी और लेह एपेक्स बॉडी तथा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों के बीच अगली वार्ता प्रस्तावित है। अंततः कहा जा सकता है कि उच्च अधिकार समिति और लद्दाख के संगठनों के बीच हुई वार्ताओं से विश्वास निर्माण, रोजगार सुरक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और विकास संबंधी मुद्दों पर कुछ सकारात्मक प्रगति हुई है। फिर भी संवैधानिक सुरक्षा और राजनीतिक अधिकारों से जुड़े बड़े मुद्दों पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है।

संदर्भ सूची

1. दत्ता, डॉ. सी.एल. लद्दाख एण्ड वेस्टर्न हिमालयन पॉलिटिक्स, मुंशीलाल मनोहरलाल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 1995, पृ.सं. 84
2. कंधारी, रवि प्रताप, जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के निहितार्थ, इण्डिया टुडे (हिंदी), नवंबर 2019. पृ.सं. 09
3. उपाध्याय, डॉ. जय जय राम, भारत का संविधान (बेयर एक्ट), इलाहबाद लॉ पब्लिकेशन, दसवां संस्करण, जनवरी 2024, पृ.सं. 48
4. लक्ष्मीकांत, एम. भारतीय संविधान और राजव्यवस्था, मेग्राहिल प्रकाशन, नई दिल्ली, सातवां संस्करण 2023, पृ.सं. 243.
5. जांहगीर, माजिद, लद्दाख में किन माँगों के साथ आंदोलन कर रहे हैं सोनम वांगचुक, बीबीसी हिंदी डिजिटल प्लेटफॉर्म, 18 मार्च, 2024. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बीबीसी डॉट कॉम/हिन्दी/आर्टिकल्स/सी51548जे1केकेकेओ डॉट एएमपी
6. मसूद, बशरत, डिकोड पॉलिटिक्स : वाट आर द टु लद्दाख आऊटफिट्स स्प्रेडिंग स्टेटहुड डिमांड, द इण्डियन एक्सप्रेस, 27 सितंबर, 2025. एचटीटीपीएसः//इंडियनएक्सप्रेस डॉट कॉम/आर्टिकल/पॉलिटिकल-पल्स/डिकोड-पॉलिटिक्स-दि-टू-लद्दाख-आउटपुट्स-इस्फीयरहैडिंग-स्टेटहुड-डिमांड-
7. मकबूल, उमर, लद्दाख की माँग पर केन्द्र का ठण्डा रुख, द वायर, 5 दिसंबर, 2023, एचटीटीपीएसः//शेयर डॉट गूगल/एलपीजीईईयूकेई75क्यूओटी1एनएच0
8. सिंह, विजिता, व्हाई हैज द हाई पॉवर कमेटी बीन सैट अप, द हिन्दू, 5 जनवरी, 2023, प्रथम पृष्ठ